प्रेस - रिलीज़

iFOREST के मूल्यांकन के अनुसार, पिछले दस वर्षों में खनन कंपनियों से 1 लाख करोड़ से अधिक जमा करने वाली जिला खनिज निधियां अपने उद्देश्य को पूरा करने में संघर्ष कर रही हैं।

- जिला खनिज निधियां (DMFs), जो भारत की एकमात्र लाभ साझा करने की व्यवस्था है और खनन-प्रभावित समुदायों के खनिज संसाधनों से लाभ प्राप्त करने के अधिकार को मान्यता देती है, अपने 10 वर्षों के लक्ष्यको पूरा कर चुकी हैं।

- DMFs ने पिछले दस वर्षों में ₹1,03,242 करोड़ एकत्र किए हैं। iFOREST के अनुमानों के अनुसार, 2025 से 2035 के बीच संग्रह ₹3,00,000 करोड़ तक पहुंच सकते हैं।

- iFOREST के मूल्यांकन में सामने आया है कि कमजोर संस्थागत ढांचा, खराब योजना और कार्यान्वयन, और समुदाय की भागीदारी की कमी के कारण गलत निवेश हो रहे हैं।

- iFOREST का सुझाव है कि DMFs को एक स्वतंत्र सार्वजनिक कल्याण कोष के रूप में फिर से डिजाइन किया जाना चाहिए, जिसमें खनन-प्रभावित समुदायों का अधिक प्रतिनिधित्व हो, ताकि DMF को भारत के खनन क्षेत्रों में गरीबी को कम करने और विकास को बढ़ावा देने में प्रभावी बनाया जा सके।

नई दिल्ली, 25 मार्च 2025 – जिला खनिज निधि (DMF) 27 मार्च 2025 को अपनी स्थापना के दस वर्ष पूरा करने जा रही है। पर्यावरणीय थिंक टैंक iFOREST द्वारा किए गए एक व्यापक मूल्यांकन में इसके प्रभाव की समीक्षा की गई है और इंप्लीमेंटेशन को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं।

2015 में खनिज और खनिज (विकास और नियमन) अधिनियम के तहत स्थापित, DMFs को देश के सभी खनन जिलों में गरीबी कम करने, प्रदूषण घटाने और खनन क्षेत्रों के विकास के लिए स्थापित किया गया था। यह इस तथ्य की *स्वीकृति* थी कि भारत के सबसे खनिज-सम्पन्न जिले वही हैं जहां इसके सबसे गरीब लोग रहते हैं। DMF भारत की एकमात्र लाभ साझा करने की व्यवस्था है जो खनन-प्रभावित समुदायों को खनिज संसाधनों से लाभ प्राप्त करने के अधिकार को मान्यता देती है

DMF ट्रस्ट 23 राज्यों के 645 जिलों में मौजूद हैं। खनन कंपनियों द्वारा अनिवार्य योगदान से वित्तपोषित, DMFs ने 2015 से अब तक ₹1,03,242 करोड़ से अधिक एकत्र किए हैं। यह खनन-प्रभावित क्षेत्रों में लाखों लोगों के जीवन और आजीविका को बदलने के लिए जिला स्तर पर उपलब्ध सबसे बड़े कल्याण कोषों में से एक है। iFOREST द्वारा किए गए अनुमानों के अनुसार, अगले दशक में DMFs ₹3 लाख करोड़ तक एकत्र कर सकते हैं, क्योंकि खनन क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि होने वाली है।

DMF और प्रधान मंत्री खानिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) का दस वर्षीय मूल्यांकन 'जिला खनिज निधि: उपलब्धियां, चुनौतियां और आगे का रास्ता' विषय पर आयोजित वेबिनार के दौरान जारी किया गया था। इस कार्यक्रम में खनिज मंत्रालय, राज्य खनन विभाग, जिला कलेक्टरों, विधायकगण और भारत के प्रमुख खनन जिलों के नागरिक समाज के सदस्यों से वक्ताओं को आमंत्रित किया गया था।

इस अवसर पर बोलते हुए, श्री दिनेश महुर, खनिज मंत्रालय के संयुक्त सचिव, DMF और PMKKKY केंद्रीय मंत्रालय के प्रभारी, ने कहा-

DMFT के लिए योजना बनाना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हालांकि, इसे संरचित और व्यवस्थित तरीके से किया जाना आवश्यक है, क्योंकि आने वाले वर्षों में इस निधि में वृद्धि

होने की संभावना है। निगरानी के अलावा, सामाजिक अंकेक्षण, भागीदारी आधारित शासन, स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन और धन के समुचित उपयोग के माध्यम से कार्यान्वयन को भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

भारत के शीर्ष तीन खनन राज्यों में शामिल झारखंड के खनिज और भूविज्ञान विभाग के सचिव, श्री अरव राजकमल, ने कहा-

जैसे-जैसे हम अपने नेट ज़ीरो लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं, कोयला रूपांतरण होना तय है। आगे चलकर, कुछ कोयला जिलों में DMFT निधि में कमी आ सकती है। इसलिए, हमें इन क्षेत्रों के लिए बेहतर अवसर पैदा करने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक वेल्थ फंड बनाने की आवश्यकता है।

"DMF ने अब तक **₹1 लाख करोड़ से अधिक** की निधि जुटाई है। यह भारत के **खनन जिलों**, जो देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से हैं, की **विकास संबंधी चुनौतियों** को हल करने में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि, उपयुक्त संस्थागत ढांचे की कमी, निधि का अक्षम उपयोग, व्यवस्थित और दीर्घकालिक योजना की कमी, और लोगों की भागीदारी का अभाव, हस्तक्षेप उपायों की पहचान और डिज़ाइन में, उनके पूर्ण क्षमता के इस्तेमाल में बाधा डाल रहे हैं। DMFs को अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक स्वतंत्र सार्वजनिक कल्याण कोष के रूप में फिर से डिजाइन किया जाना चाहिए," श्री चंद्र भूषण, सीईओ, iFOREST ने कहा।

नागरिक समाज के वक्ताओं ने समुदाय की भागीदारी में निवेश करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सरोज महापात्र, कार्यकारी निदेशक, PRADAN, ने कहा, "भागीदारी आधारित योजना बनाने के लिए, DMF उन मौजूदा मॉडलों से सीख सकते हैं, जैसे ग्राम पंचायत विकास योजना अभ्यास। जब भी समुदाय की भागीदारी होती है, तो यह एक ऐसी योजना बनती है जो अंत तक पूरी होती है।

मुख्य टिप्पणियाँ:

हाइ फंड एकुरल, लो स्पेंडिंग

- 645 जिलों में DMFs ने दस वर्षों में मुख्य रूप से कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर और अन्य खनिजों से ₹1.03 लाख करोड़ एकत्र किए हैं।
- ओडिशा कुल निधियों का 29% के साथ आगे है, इसके बाद छत्तीसगढ़ (14%) और झारखंड (13%) का स्थान है।
- हालांकि ₹87,957 करोड़ परियोजनाओं के लिए मंजूर किए गए हैं, केवल 40% खर्च किए गए हैं, और झारखंड और ओडिशा जैसे राज्य 50% उपयोग से भी कम हैं।
- गुजरात (67%) और छत्तीसगढ़ (64%) की खर्च करने की दक्षता सबसे अधिक है।
- DMF संग्रह अगले दशक में ₹2.5-3 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है, जिससे हर साल ₹20,000-30,000 करोड़ की स्थिर आय सुनिश्चित होगी।

खराब योजना प्रभाव को कमजोर करती है

- DMFs में संरचित योजनाओं की कमी है, और अक्सर इन्हें तात्कालिक, टॉप तो डाउन परियोजना अनुमोदनों पर निर्भर रहना पड़ता है। जीवनयापन और मानव संसाधन विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों को न्यूनतम वित्तीय सहायता मिलती है, जबकि खर्च का अधिकतर हिस्सा बुनियादी ढांचे पर केंद्रित होता है।

- सड़कों और पुलों को कुल आवंटन का लगभग 30% हिस्सा मिला है, जो सबसे बड़ा हिस्सा है। उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जैसे पीने का पानी, शिक्षा आदि में भी, बुनियादी ढांचे का निर्माण मुख्य फोकस रहा है।

- यह दृष्टिकोण DMF के मुख्य उद्देश्य, यानी गरीबी उन्मूलन, को कमजोर करता है।

खनन समुदायों में आवाज की कमी

- DMF प्रशासन में भारी मात्रा में नौकरशाहों और राजनीतिक प्रतिनिधियों का प्रभुत्व है। निर्णय लेने वाली संस्थाओं में समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है। वास्तव में, DMFs का कार्य जिला कलेक्टोरेट का एक विस्तार रूप ही है।
- कोई भी DMF ट्रस्ट ने अपने लाभार्थियों की औपचारिक पहचान नहीं की है, जो कि कानून द्वारा अनिवार्य है। इसके परिणामस्वरूप, वे लोग जो खनन के कारण अपने घरों और आजीविका को खो चुके हैं, उन्हें बाहर कर दिया गया है।

iFOREST अनुशंसाएँ

1. DMFs को सरकार के विकासात्मक लक्ष्यों के अनुरूप स्वतंत्र सार्वजनिक कल्याण कोष के रूप में फिर से डिजाइन किया जाए।
2. खनन-प्रभावित निवासियों के लिए DMF शासी निकायों में कम से कम एक-तिहाई हिस्सेदारी आरक्षित करके समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें।
3. समुदाय की आवश्यकताओं के आधार पर पांच वर्षीय और वार्षिक योजनाओं सहित संरचित योजनाओं के विकास को लागू करें।
4. बुनियादी ढांचे से हटकर शिक्षा, कौशल और हरित नौकरियों में लोगों-केंद्रित निवेश पर ध्यान केंद्रित करें।
5. एक स्वतंत्र DMF निवेश बोर्ड गठित करें ताकि कोष के आकार में महत्वपूर्ण वृद्धि होने के साथ जिम्मेदार निधि प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।
6. समाप्त खनन क्षेत्रों में सस्टेनेबल लाइवलीहुड का समर्थन करने के लिए निर्धारित एंडोमेंट फंड के उपयोग के लिए स्पष्ट खर्च दिशानिर्देश विकसित करें
7. DMF निवेशों को ट्रांजिशन प्लानिंग के साथ जोड़ें ताकि खनन गतिविधि में गिरावट देख रहे जिलों में इकोनॉमिक डायवर्सिफिकेशन और अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स का समर्थन किया जा सके।
8. अनिवार्य सामाजिक ऑडिट और पारदर्शी रिपोर्टिंग के माध्यम से निगरानी को मजबूत करें।

iFOREST के विषय में:

पर्यावरण, स्थिरता और प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच (iFOREST) एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठन है, जो भारत में पर्यावरण-विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर काम कर रहा है।

हम स्वतंत्र और प्रमाण-आधारित अनुसंधान करते हैं, नए ज्ञान और अभिनव समाधानों का विकास करते हैं। साथ ही, हम हितधारकों को एकत्रित करके जागरूकता बढ़ाने और हरित पहल को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करते हैं।

अधिक जानकारी के लिए, यहाँ देखें: https://iforest.global

मीडिया संपर्क:

श्रिया मोहन

कम्युनिकेशन लीड, iFOREST

�� +91 7042144726

�� shriya@iforest.global